भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 6077

जिसका उत्तर 01 अप्रैल, 2026 को दिया जाना है

कोकिंग कोयले को महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज के रूप में अधिसूचित करना

6077. श्री मोहिब्बुल्लाहः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची में संशोधन करके कोकिंग कोल को एक 'महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज' के रूप में अधिसूचित किया है और यदि हां, तो एक जीवाश्म ईंधन को ऐसा दर्जा देने के तर्क सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विशेष रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि जैसे कोयला-सघन क्षेत्रों में इसके प्रभाव को देखते हुए कोकिंग कोल के जंगलों, जैव-विविधता, जल संसाधनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले इसके संभावित प्रभावों को ध्यान में रखते हुए इसे एक महत्वपूर्ण खनिज के रूप में वर्गीकृत करने से पहले कोई स्वतंत्र पर्यावरणीय, पारिस्थितिक या जलवायु प्रभाव मूल्यांकन कराया है;

(ग) उच्च-कार्बन वाले जीवाश्म ईंधन को किस प्रकार एक महत्वपूर्ण खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो विश्व स्तर पर आमतौर पर लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्वों जैसी स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक खनिजों के लिए आरक्षित श्रेणी है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोकिंग कोल को रणनीतिक खनिज के रूप में वर्गीकृत करने से पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों में कोई ढील नहीं आएगी क्या कदम प्रस्तावित हैं?

उत्तर

कोयला एवं खान राज्य मंत्री

(श्री सतीश चन्द्र दुबे)

(क) : सरकार ने कोकिंग कोयले के आयात को कम करके आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए घरेलू कोकिंग कोयले के उत्पादन में तेजी लाने के उद्देश्य से 27 जनवरी 2026 की अधिसूचना के माध्यम से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की

प्रथम अनुसूची में संशोधन करके कोकिंग कोयले को एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज के रूप में अधिसूचित किया है। वर्तमान में, दिनांक 01.04.2025 तक भारत में लगभग 37.37 बिलियन टन (बीटी) का महत्वपूर्ण भंडार होने के बावजूद भारत की कोकिंग कोयले की आवश्यकता मुख्यत: आयात के माध्यम से पूरी की जाती है।

(ख) : जहां तक पर्यावरणीय, पारिस्थितिकीय अथवा जलवायु प्रभाव का संबंध है, यद्यपि कोई विशिष्ट आकलन अध्ययन नहीं किया गया है, तथापि उच्च स्तरीय समिति-विकसित भारत (एचएलसी-वीबी), नीति आयोग ने स्टेकहोल्डरों के साथ विस्तृत परामर्श करने के बाद कोकिंग कोयले को एक महत्वपूर्ण खनिज के रूप में अधिसूचित करने की सिफारिश की है ताकि इसके घरेलू अन्वेषण और उत्पादन में तेजी लाई जा सके और अवसंरचना विकास के लिए अपेक्षित इस्पात क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

(ग) : एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज के रूप में कोकिंग कोयले का वर्गीकरण इसके कार्बन प्रोफाइल के बजाय इसके आर्थिक और रणनीतिक महत्व पर आधारित है। कोकिंग कोयला इस्पात उत्पादन के लिए आवश्यक है, जो देश के अवसंरचना और औद्योगिक विकास में सहायता करता है। यह नोट किया जा सकता है कि कोकिंग कोयले का उपयोग विश्व स्तर पर इस्पात बनाने में किया जाता है। अमेरिका और यूरोपीय संघ सहित कुछ अन्य देशों की महत्वपूर्ण सामग्री सूची में कोकिंग कोयला मौजूद है।

(घ) : एक महत्वपूर्ण खनिज के रूप में कोकिंग कोयले की अधिसूचना के बाद, खनन प्रचालनों को शुरू करने के लिए कुछ प्रक्रियात्मक छूट उपलब्ध होगी। हालांकि, पर्यावरण सुरक्षा उपायों को कमजोर नहीं किया जाता है, और मौजूदा पर्यावरण नियामक ढांचा लागू रहता है। कोकिंग कोयला सहित सभी खनन परियोजनाएं लागू पर्यावरण, वन और वन्यजीव कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित होना जारी हैं, जिनके तहत खनन प्रचालनों को शुरू करने से पहले विस्तृत आकलन और सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त करना अधिदेशित हैं।
